

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 16/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

— प्रार्थी

बनाम

1. कमलादेवी पत्नी सिंगांराम जाति बंजारा निवासी उत्तमनगर तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा हाल निवासी बगड़ बंजारा बस्ती तहसील व जिला झुंझुनू।
2. मीरादेवी पत्नी सोगाराम जाति बंजारा निवासी उत्तमनगर तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा हाल निवासी बगड़ बंजारा तहसील व जिला झुंझुनू।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट- प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, एडवोकेट- अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माखर तहसील व जिला झुंझुनू की हाल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 160 के अनुसार ग्राम माखर में स्थित भूमि ख0न0 353 रकबा 1.01 है0 किस्म बाराणी तृतीय की खातेदारी कमलादेवी पत्नि सिंगांराम हि0 1/2, मीरादेवी पत्नि सोगाराम जाति बंजारा सा0 उत्तमनगर तहसील व जिला नागौर हाल आबाद बगड़ तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:-

जिला कलक्टर झुंझुनू

| क्र.स. | जमाबन्दी सम्बत् | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण |
|--------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
| 1 | 2012 | 360 | 274 बीघा 9 बिश्वा | गै0मु0नदी | राजकीय सिवायचक |
| 2 | 2025-2028 | 360 | 149 बीघा 9 बिश्वा | गै0मु0नदी | नोट आदेश जिलाधीश महोदय, झुंझुनू के क्रमांक 2265-67 दिनांक 10.06.67 भूमि ख0न0 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गै0मु0 नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गै0मु0 नदी रहेगा। |
| 3 | 2025-2028 | 360 मीन | 4 बीघा | बारानी सोयम | मीना खां पुत्र शम्भू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गैर खातेदार। |
| 4 | 2029-2032 | 360 मीन | 4 बीघा | बारानी सोयम | मीना खां पुत्र शम्भू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम गैर खातेदार। |
| 5 | 2033-2036 | 360 मीन | 4 बीघा | बारानी सोयम | मीना खां पुत्र शम्भू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम खातेदार। |
| 6 | 2042-2045 | 360 मीन | 4 बीघा | बारानी सोयम | मीना खां पुत्र शम्भू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम खातेदार। |
| 7 | 2060-2063 | 353 | 1.01 है0 | बारानी 3 | मेहरबानो पत्नी ताज मोहम्मद जाति तवंर सा0देह खातेदार। |
| 8 | 2062-2065 | 353 | 1.01 है0 | बारानी 3 | मेहरबानो पत्नी ताज मोहम्मद जाति तवंर सा0देह खातेदार। |
| 9 | 2064-2067 | 353 | 1.01 है0 | बारानी 3 | मीरादेवी पत्नी सोगाराम हि0 1/2, कमलादेवी पत्नी सिगांराम हि0 1/2 जाति बंजारा नि0 उत्तम नगर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी बगड़ खातेदार। |
| 10 | 2068-2071 | 353 | 1.01 है0 | बारानी 3 | मीरादेवी पत्नी सोगाराम हि0 1/2, कमलादेवी पत्नी सिगांराम हि0 1/2 जाति बंजारा नि0 उत्तम नगर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी बगड़ |

जिला कलक्टर

| | | | | | |
|----|-----------|-----|----------|----------|---|
| 11 | 2074-2077 | 353 | 1.01 है० | बारानी 3 | खातेदार। मीरादेवी पत्नी सोगाराम हि० 1/2, कमलादेवी पत्नी सिंगाराम हि० 1/2 जाति बंजारा नि० उतम नगर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी बगड़ खातेदार। |
|----|-----------|-----|----------|----------|---|

उक्त वर्णित भूमि गै०मु० नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नहीं है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपूर के यहां दर्ज एस०बी०सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफ़ी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित भूमि ख.न. 353 रकबा 1.01 है० किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 05.08.2019 को जबाब प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 353 मेहरबानो पत्नी ताज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी माखर तहसील व जिला झुंझुनू की खातेदारी की भूमि थी। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.11.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की थी। अब वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त भूमि क्षेत्र के अन्दर कभी भी नदी या तलाई का अस्तित्व नहीं रहा। विवादग्रस्त भूमि पूर्णरूपेण कृषि भूमि है माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 02.08.2004 को जो निर्णय पारित किया है उसमें ऐसा कोई निर्देश पारित नहीं किया कि नियमित रूप से कृषि कार्य में ली जा रही भूमि के आवंटन को निरस्त कर ऐसी भूमियों को राजकीय भूमि अंकित कर दिया जावे। प्रार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को समझे बिना प्रशनाधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि अप्रार्थी

जिला कारागार झुंझुनू

कमला देवी पत्नी सिंगाराम व मीरादेवी पत्नी सोगाराम जाति बंजारा निवासी बगड़ की खातेदारी की कृषि भूमि है। भूमि का सार्वजनिक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 1.01 हैक्टर पर अप्रार्थीगण शुद्ध व पाकरूप से खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी कृषि भूमि है और हमेशा कृषि भूमि के प्रयोजनार्थ ही काम में ली जाती रही है। भूमि विवादग्रस्त पर मौके पर नदी स्थित नहीं है। ना ही कभी वर्षा का पानी भरा राजस्व भू अभिलेख में गैर मुमकीन नदी अंकित कर देने के आधार पर भूमि विवादग्रस्त को गैर मुमकीन नदी की भूमि होना नहीं माना जा सकता। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 के अन्तर्गत जमाबन्दी की सत्यता का मात्र एक कयास होता है और जमाबन्दी अंतिम सत्य की श्रेणी में नहीं आती और ऐसे अभिलेख साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक होता है परन्तु फिर भी विद्वान एकलपीठ ने तथाकथित जमाबन्दी में हो रहे इन्द्राजात मात्र के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बगड़ पटवार मण्डल माखर की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 353 रकबा 1.01 है० के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते में गैर मु० नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा०प० स्वीकार किया जाकर अनोवदक के खाते से हटाया जाकर पुनः गै०मु० नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान नजीर 2014 आर.बी.जे. 504 तथा 2019 आर.बी.जे. 241 की ध्यान आकर्षित किया तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का आवंटन हुआ है जो निरस्त नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। वर्तमान में भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज जो नियमानुसार व सही है। रेफरेन्स करने से पूर्व विवादित भूमि की मौका जांच भी नहीं की गई है। भूमि के क्रम में मुआवजा व अन्य सरकारी सुविधायें मिली है। प्रार्थी ने निराधार तथ्यों पर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये हैं यथा :-

1. प्रकरण में एक अहम बिन्दु यह है कि विवादित आराजी की बाबत जिलाधीश, झुंझुनू ने एक आदेश क्रमांक 2265-67 दिनांक 10.06.1967 को दिया था, जिसके अनुसार "भूमि खसरा नम्बर 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा, 360/479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गैर मुमकीन नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति

की
जिला कारागार झुंझुनू


बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गैर मुमकीन नदी रहेगा।" इस तरह तत्कालीन कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म बदली है। उक्त तथ्य का रिकार्ड देखकर परीक्षण आवश्यक है।

2. प्रकरण में अप्रार्थीगण का तर्क यह रहा है कि वर्तमान विवादित आराजी कृषि भूमि के रूप में काम आ रही है। इस हेतु अप्रार्थीगण ने नजीर 2014 आर.बी.जे. 504 के अनुसार "रेफरेन्स प्रेषित करने से पूर्व मौका जांच करवाई जाकर यह निष्कर्ष निकालना था कि आंवटन से क्या नदी/नाले के बहाव क्षेत्र में रूकावट पैदा हो रही है।" प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे इस बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकें। न्यायालय की दृष्टि में प्रकरण का निस्तारण उसके सभी पहलुओं की जांच के बाद किया जाना न्यायोचित है।
3. ग्राम बगड पटवार हल्का माखर की सरहद में स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 1.01 हैक्टर जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते में गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। अप्रार्थीगण का तर्क यह है उक्त विवादित आराजी उनकी कयशुदा भूमि है, जिसके वह नियमानुसार खातेदार बने हैं, जिसकी किस्म वर्तमान में बारानी 3 के रूप में दर्ज है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन से हम सहमत हैं। अप्रार्थीगण Bonafide purchaser है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर 2019 आर.बी.जे. 241 के अनुसार Although there is no limitation prescribed for making reference but delay should be reasonable. Delay of 44 years cannot be said to be reasonable in any manner. प्रकरण में विवादित आराजी जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के बाद खातेदारी के रूप में दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष लगभग 53 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।

उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर स्वीकार योग्य नहीं होने खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किया जाता है तथा आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह मौके की विस्तृत जांच करें तथा जिलाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 10.06.1967 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तत्पश्चात यदि रेफरेन्स का प्रकरण बनता है तो प्रार्थी पुनः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं तस्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(असर दीन खान)
जिला कलेक्टर,
झुंझुनू